

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]
No. 163]

दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2003/आश्विन 23, 1925 [रा०रा०रा०क्षे०दि०सं०230
DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2003/ASVINA 23, 1925 [N.C.T.D. No. 230

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2003

पंजिका क्रमांक:—21/सैक्रेटरी/एस.टी.ए./2001/849.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की उप-धारा (2), धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सहर्ष, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्रीमति वीना बीरबल, सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी मामले) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सहित, तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार,
जी.एस. पटनायक, आयुक्त एवं सचिव (परिवहन)/अध्यक्ष (रा.परि. प्राधिकरण)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2003

No. F. 21/SECY/STA/2001/849.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 89 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Smt. Veena Birbal, Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), Govt. of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

G.S. PATNAIK Commissioner-Cum-Secy. (Transport)/Chairman (S.T.A.)

3061 DG/2003